प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर और मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे, गरीब परिवारों को मिलेगा राशन जो लोग योग्य श्रेणी में नहीं आते वो अपना गलत राशन न ले अन्यथा प्रशासन करेगा कार्रवाई

दीव दिनांक 21/04/2020 :- कोरोना वायरस के चलते पूरी देश में तालाबंदी की घोषणा गई है । कई गरीब परिवारों को इस दौरान परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है । उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई है । इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया गया है । प्रधानमंत्रीजी द्वारा गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी प्रदान की गई है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक राशन के रूप में 5 किलो चावल एवं प्रति राशन कार्ड 01 किलो दाल दिया जाएगा ।

उक्त योजना के अनुसरण में दीव प्रशासन द्वारा 23 अप्रैल, 2020 से दीव के उन गरीब परिवारों को जिनकी आय एक लाख रूपया से कम है, को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 05 किलो चावल एवं प्रति राशनकार्ड 01 किलो दाल मुहैया कराया जाएगा । दीव प्रशासन द्वारा 03 माह का राशन एक ही बार दिया जाएगा । इस प्रकार परिवार के प्रत्येक सदस्य को 15 किलो चावल तथा प्रति राशनकार्ड 3 किलो दाल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।

प्रशासन द्वारा इस योजना के अतंर्गत की जा रही प्रक्रियाओं के दौरान यह पाया गया है कि लगभग 48 ऐसे कार्डधारक हैं, जिनकी आय एक लाख से अधिक है । प्रशासन ने इन लाभार्थियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है और उचित उत्तर नहीं मिलने पर उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है । इसके साथ ही प्रशासन द्वारा उन सभी कार्डधारकों से जिनकी आय एक लाख से अधिक है तथा सरकारी कर्मचारियों से अपील की जाती है कि वे अपना राशनकार्ड सिविल सप्लाई विभाग में सरेंडर कर दें । अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है । इसके साथ ही वे इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का लाभ लेने का प्रयास न करें । अगर वे इस योजना के तहत लाभ लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी । यह योजना सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर और मेहनत मज़दूरी से अपना जीवन यापन कर रहे, उन गरीब परिवारों के लिए है जिनकी कुल आय एक लाख रूपय से कम है ।